पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 16 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30–07–2022

दिनांक 29/30–07–2022 को रात्रि थाना बन्थरा 04, गोसाईगंज 02, हसनगंज 01, हजरतगंज 01 जानकीपुरम 02, नगराम 01, सआदतगंज 03, विभूतिखण्ड 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 16 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

जुआ खेलते समय गिरफ्तार।

थाना वजीरगंज–दिनांक 29.07.2022 को उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना वजीरगंज द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01–प्रिंकल पुत्र सन्तोष कुमार निवासी–म0नं0 157/142 गौसनगर नाला थाना वजीरगंज लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष 02–अनूप कुमार गौतम पुत्र मेवालाल निवासी–म0नं0 151/172 नाला रथखाना थाना नाका हिण्डोला लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष 03–दशरथ पुत्र स्व0 हीरालाल निवासी–म0नं0 151/77 नाला रथखाना थाना नाका हिण्डोला लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष को आपस में रूपयों की हारजीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों द्वारा जुआ खेलते व खिलवाते समय सार्वजनिक स्थान रकाबगंज पुल के पास, पाण्डेयगंज थाना वजीरगंज से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते, 02 अदद मोबाइल फोन व 2100/–रूपये नगद बरामद कर थाना वजीरगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना वजीरगंज–दिनांक 30.07.2022 को थाना वजीरगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री आदिल सिद्दीकी पुत्र जाकिर निवासी–ग्राम पारा थाना मौरावां जनपद उन्नाव ने थाना वजीरगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 29.07.2022 को समय करीब 11.30 बजे वादी अपनी तारीख पेशी पर माननीय अपर जिला जज सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–3 लखनऊ में आया था। समय करीब 1.00 बजे दोपहर को 15 से 20 व्यक्ति जो कि अधिवक्ता की पोशाक पहने हुए थे, अदालत के अन्दर से वादी को पकड़कर बाहर ले गये जिसमें से बृजेन्द्र उर्फ वीरू निवासी–मड़ियांव गांव जानकीपुरम लखनऊ, राहुल कोटा, अभय गौड़ उर्फ बाबू, तनवीर व अन्य अज्ञात लोगों ने वादी को अदालत के बाहर गाली गलौज करते हुए मारा पीटना शुरू कर दिया, उक्त लोगों द्वारा वादी को जान से मारने की धमकी देते हुए बृजेन्द्र उर्फ वीरू ने पिस्टल से वादी को जान से मारने की नीयत से अन्य सभी के कहने पर वादी के सीने पर पिस्टल से फायर कर दिया, किन्तु फायर मिस हो गया। इसके पश्चात बृजेन्द्र सिंह उर्फ वीरू ने पिस्टल की बट से वादी के सिर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वादी के सिर पर काफी चोटें आयीं और वादी घायल होकर बेहोश हो गया। **इस सूचना पर थाना वजीरगंज पर पर मु0अ0सं0 220/2022 धारा 147/148/149/323/504/506/307 भादवि का अभियोग** बनाम 01–बृजेन्द्र सिंह उर्फ वीरू 02–राहुल कोटा 03–अभय गौड़ उर्फ बाबू 04–तनवीर व 15 से 20 अन्य अज्ञात व्यक्ति (अधिवक्ता की पोशाक पहने हुए) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।